(280) (156)

पक्षकारों एवं ... आदि के हस्ता...

समक्ष श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

Rs 30/-

श्रीमती रूपा सिंह पत्नी स्व0 प्रशांत सिंह निवासी कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ——————————— आवेदक / निगराकार

R 5058-II/16

बनाम्

प्रमेन्द्र सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह तनय श्री गुरूरतन्न सिंह साकिन कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ——————— अनावेदक / गैरनिगराकार

श्री रवि पाण्डेय एड के द्वारा आज दिनांक 9.2.16 प्रस्तुत किया गया

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 28.12.2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक सुदामा प्रसाद कोल राजस्व मण्डल सतना तहसील रघुराजनगर के राजस्व प्रकरण कमांक–11A12/2015-16 अन्तर्गत धारा 50 भू0रा0संहिता 1959।

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :–

1. यह कि गैर–निगराकार प्रमेन्द्र सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह तनय गुरूरतन सिंह साकिन कृपालपुर द्वारा मौजा कृपालपुर की आराजी कमांक–445/5 रकवां 0.251हे0 एवं 446 रकवां 0.514हे0 के सीमांकन बावत् आवेदन पत्र पेश किया था जिसका सीमांकन हल्का पटवारी कृपालपुर एवं सेजहटा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सीमांकन के समय आपत्तिकर्ता/निगराकार रूपा सिंह पत्नी स्व0 प्रशांत सिंह निवासी कृपालपुर द्वारा मौके पर उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की गयी। आ0नं0–445 के सीमांकन बावत् दावा आपत्ति दिनांक 28.09.2015 एवं 08.10.2015 तथा 14.12.2015 लगातार नाप में आपत्ति पेश की गयी। जिसके उपरान्त राजस्व निरीक्षक द्वारा आ0नं0–445/5 रकवां 0.251हे0 एवं आ0नं0–446 रकवां 0.514हे0 के भूमिस्वामी प्रमेन्द्र सिंह पिता गुरूरतन सिंह की उपस्थित में व अन्य उपस्थित

-----------2

(156)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5058-II/16 जिला सतना

श्रीमती रूपा सिंह विरूद्ध प्रमेन्द्र सिंह

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री शिव पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 11/अ12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.12.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30.03.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

के भूमिस्वामी प्रमेन्द्र सिंह पिता गुरुरतन सिंह की उपस्थित न व अन्य उपस्थित

-----------2